

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 20193/2024

मृणाल भाटिया पुत्र सुनील भाटिया, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी बावड़ी पाड़ा, माणक चौक, जैसलमेर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. राजस्थान राज्य, अध्यक्ष डिस्कॉम, विद्युत भवन ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
3. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, न्यू पावर हाउस, औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर के माध्यम से।
4. अधीक्षण अभियंता (ओ एवं एम), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जैसलमेर।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री गौरव थानवी, श्री राजवेंद्र मुलेवा के लिए
प्रतिवादीगण के लिए	:	कोई भी उपस्थित नहीं है

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

24/01/2025

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को निर्देश देने की मांग कर रहा है कि उसे 23.04.2021 से सभी परिणामी लाभों के साथ वाणिज्यिक सहायक (द्वितीय) के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाए।
-

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता, जो प्रतिवादी विभाग में मीटर इंस्पेक्टर (द्वितीय) के पद पर कार्यरत थे, का 06.10.2020 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एल.डी.सी. के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता के पत्र दिनांक 08.03.2021 के प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता को 21.06.2021 को सूचित किया गया कि उनकी शैक्षणिक योग्यता और जेवीवीएनएल अनुकंपा नियुक्ति नियम, 2016 के अनुसार, वह एल.डी.सी. के पद के लिए पात्र नहीं हैं।

2.1. दिनांक 23.04.2021 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सहायक (द्वितीय) के पद पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 23.04.2021 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 07.05.2021 को कार्यभार ग्रहण किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता से कम योग्यता वाले व्यक्तियों को वाणिज्यिक सहायक (द्वितीय) के उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। अतः, वर्तमान याचिका।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुनने और मामले में प्रस्तुत पुष्टिकरण दलीलों तथा संलग्न प्रासंगिक दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 23.04.2021 के आदेश द्वारा सहायक (द्वितीय) के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता अब उच्च शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद उसे निम्न संवर्ग का पद देने के प्रतिवादीगण के निर्णय को चुनौती देता है।

4. इस प्रश्न पर कानून का स्थापित सिद्धांत यह है कि एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने और स्वीकार किए जाने के बाद, ऐसी नियुक्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है। अनुकंपा नियुक्ति को किसी भी तरह से, सेवाकाल के दौरान दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों की एक विशेष श्रेणी के माध्यम से ऊर्ध्वाधर आरक्षण बनाकर नियुक्ति पाने के लिए आरक्षण के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। अनुकंपा नीतियों का उद्देश्य परिवार पर आने वाली तात्कालिक

विपन्नता को कम करना और शोक संतप्त परिवार को आर्थिक संकट से तत्काल राहत प्रदान करना है।

5. इसके अलावा, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता उच्च पद पर नियुक्ति के योग्य है, उसे परमादेश रिट जारी करके नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि ऐसी नियुक्ति का आधार अनुकंपा है।

6. इस आधार पर, मेरा मानना है कि अनुकंपा नियुक्तियाँ मानवीय आधार पर और परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवार को तत्काल रोजगार देने के उद्देश्य से की जाती हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता को उच्च पद पर नियुक्त करने का निर्देश देने वाला कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, जब उस पद के लिए सैकड़ों योग्य उम्मीदवार अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हों। खासकर, जब याचिकाकर्ता को पहले ही अधिमान्यता प्रदान की जा चुकी है और सहायक (द्वितीय) के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इसके अलावा, उक्त पद याचिकाकर्ता को बिना किसी आवश्यकता या कई अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा के दिया गया था।

7. इस संदर्भ में, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम उमराव सिंह (एआईआर ऑनलाइन 1994 एससी 367) में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना था कि उस मामले में उमराव सिंह को दिए गए एलडीसी के पद पर नियुक्ति को एक बार उसके द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का उसका अधिकार समाप्त हो गया और अनुकंपा के आधार पर आगे कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा। अन्यथा, यह "अंतहीन अनुकंपा" का मामला होगा।

8. ऐसा होने के कारण, याचिका किसी भी गुण-दोष से रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित समझे जाएं।

(अरुण मोंगा),जे

2-/धनंजय एस/जितेन्द्र/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
